खण्ड 4
आयोग

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 10 भारत में आयोग

संरचना

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 भारत में आयोग

10.3 संदर्भ

10.4ए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉसफार्मिंग इंडिया)

10.4बी संघ लोक सेवा आयोग

10.4सी चुनाव आयोग

10.4डी वित्त आयोग

10.4ई केन्द्रीय सर्तकता आयोग

10.4एफ प्रशासनिक सुधार आयोग

10.5 सारांश

10.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे:

- भारत के रूपान्तरण के लिए राष्ट्रीय संस्था के सात स्तंभों की व्याख्या कर सकेंगे;
- संघ लोक सेवा आयोग की संरचना और कार्यों पर चर्चा कर सकेंगे;
- चुनाव प्रक्रिया के आधुनिकीकरण की दिशा में चुनाव आयोग की पहल पर प्रकाश डाल सकेंगे;
- वित्त आयोग की कार्यप्रणाली के कार्यों और कार्यविधि को विस्तार से समझा सकेंगे।
- केन्द्रीय सर्तकता आयोग की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे; और
- दोनों प्रशासनिक सुधार आयोगों के प्रतिवेदनों पर प्रकाश डाल सकेंगे।

10.1 प्रस्तावना

पिछली इकाईयों में, हमने संघ स्तर पर प्रशासन के गठन पर चर्चा की जहाँ तक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है तथा मंत्रिमंडल सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय के कामकाज का सम्बन्ध है। वास्तव में विभागीय प्रणाली की एकीकृत प्रणाली के अलावा, कई अन्य संगठन और स्वतंत्र निकाय हैं, जो मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित नहीं है। जैसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), चुनाव आयोग, वित्त आयोग, केन्द्रीय सर्तकता आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग हैं।

इस इकाई में, हम भारत के इन राष्ट्रीय आयोगों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, केन्द्रीय सर्तकता आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग।

10.2 भारत में आयोग

मंत्रालयों के अलावा अन्य कई स्वतंत्र निकाय जैसे आयोग[1] और संस्थान है जो केन्द्रीय स्तर पर काम करते हैं। भारत के संविधान ने इनमें से कुछ आयोगों और संस्थानों के लिए प्रावधान किये गये है और वे संवैधानिक स्थिति को आत्मसात करते हैं। इनमें से कुछ आयोग और संस्थान संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और चुनाव आयोग है दूसरी ओर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, जैसे कुछ निकाय भी है जो सरकार के शासकीय आदेश के तहत बनाये गये हैं उनकी रचना के बावजूद, इन निकायों को विशिष्ट शक्तियाँ और कार्य सौंपे जाते हैं जो उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना स्वतन्त्र रूप से काम करने में सक्षम बनाते हैं इन निकायों ने सरकार को आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान की ताकि सरकार कुशलतापूर्वक योजना बना सके और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को उचित तरह से कार्यान्वित कर सके।

10.3 संदर्भ

- Basu, D.D., 2013, Constitution of India, LexisNexis, New Delhi
- Singh Sahib and Swinder Singh, 2013, Public Personnel and Financial Administration in India, New Academic Publishers, Jalandhar

[1] एक आयोग आमतौर पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया एक निकाय होता है और इसके सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं यह एक विशिष्ट सत्र के लिए काम करता है और विशिष्ट शक्तियों और प्राधिकरण के साथ निश्चित कार्य करता है एक बार सदस्यों का निर्दिष्ट कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद, एक नया गुट नियुक्त किया जाता है।

10.4ए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (NITI)

प्रस्तावना

1950 से, भारत सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में तेजी से सामाजिक और आर्थिक विकास लाने का प्रयास किया। इस कार्य को करने के लिए मुख्य संस्थान योजना आयोग था, जिसे 1950 में प्रारम्भ किया गया था और यह 2014 के अंत तक कार्य कर रहा था। इसके बाद जनवरी 1, 2015 को, योजना आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया), अर्थात् नीति (NITI) से बदल दिया गया।

संरचना

NITI की संरचना इस प्रकार है :

1. अध्यक्ष : भारत के प्रधानमंत्री
2. उपाध्यक्ष : प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
3. संचालक परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप–राज्यपाल होते हैं।
4. क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है, जिससे वे एक से अधिक राज्य या क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं का समाधान कर सके। इनका गठन एक निर्दिष्ट कार्यकाल के लिए होता है। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसमें संबंधित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल सम्मिलित होते हैं।
5. पूर्ण कालिक सदस्य
6. अंषकालिक सदस्यः इन सदस्यों की अधिकतम संख्या दो होती है, जो किसी भी प्रमुख विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संगठनों या अन्य संबंधित संस्थानों से होते हैं। अंषकालिक सदस्यों को चक्रीय आधार पर नियुक्त किया जाता है।
7. पदेन सदस्यः इसमें अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रीपरिषद से होते हैं।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.): एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह पद भारत सरकार के सचिव के पद का समानान्तर पद होता है।
9. विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
10. सचिवालय

नीति के सात स्तंभ

नीति आयोग सात स्तंभों के आधार पर काम करता है।

1. अनुकूल लोग
2. अनुकूल गतिविधि

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

3. भागीदारी
4. अधिकारिता
5. समावेशन
6. समानता
7. पारदर्शिता

इन सात स्तम्भों को चार्ट 10.4ए.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 10.4ए.1 : नीति के सात स्तंभ

अनुकूल लोग	अनुकूल गतिविधि	भागीदारी	अधिकारिता	समावेशन	समानता	पारदर्शिता
समाज के साथ–साथ व्यक्तियों की आकांक्षाओं का पूरा करते हैं	नागरिकों की आवश्यकताओं की प्रत्याषा व अनुक्रिया में	नागरिकता का समावेशन	सभी क्षेत्रों में महिलाओं का समावेश	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. अल्पसंख्यक गरीब, और वंचित लोगों का समावेशन	युवाओं के लिए अवसर	सरकार की स्पष्टता और उत्तरदायित्व

कार्य

नीति सात स्तंभों के आधार पर निम्नलिखित कार्य करता है:

1. राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्र के विकास की प्राथमिकताओं और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
2. सषक्त राज्य ही सषक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकारते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल व तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को प्रोत्साहित करना।
3. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और उच्च सरकारी स्तरों पर इन्हें आगे विकसित करना।
4. सुनिश्चित करना कि आर्थिक सुरक्षा और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को समाविश्ट किया गया है।
5. समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना, जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित होने से वंचित हो सकते हैं।
6. दीर्घ कालिक नीतियों और कार्यक्रमों को बनाना और साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना। निगरानी के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार करना।

7. शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

8. राष्ट्रीय और अंतर्राश्ट्रीय विशेषज्ञों, व अन्य भागीदारों के साथ एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, और उद्यमशीलता प्रोत्साहन प्रणाली बनाना।

9. विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर–क्षेत्रीय और अंतर–विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।

10. एक अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र बनाना, जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का भण्डार करने के साथ–साथ हितधारियों तक जानकारी पहुँचाने में भी मदद करे।

11. आवश्यक संसाधनों की पहचान करना, जिससे सेवाएँ प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके, और साथ ही उनका मूल्याँकन तथा निगरानी भी करना।

12. प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान देना।

13. कार्यक्रमों और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता बढ़ाना।

गतिविधि

योजना आयोग की जगह नीति को लाने में स्वयं का दृष्टिकोण बताएं।

संदर्भ

नीति, 2017, http://en.wikipedia.org/wiki/NITI

अगला आयोग, जिसकी हम चर्चा करेंगे वह संघ लोक सेवा आयोग है।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

10.4बी संघ लोक सेवा आयोग

प्रस्तावना

सरकारी गतिविधियों के विस्तार के लिए विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में कर्मियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक ठोस कार्मिक प्रणाली की आवश्यकता है, जिसमें एक उत्साहित कर्मचारीगण सरकारी कार्यकलापों में कुशलता व प्रभावशीलता प्राप्त करने में सक्षम हों। प्रत्येक देश ने कार्मिक कार्यों को करने के लिए एक केन्द्रीय कार्मिक एजेंसी की स्थापना की है। भारत में, हमारे पास संघ स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी) और प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग (एस.पी.एस.सी.) है।

संवैधानिक प्रावधान

भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की। ली आयोग ने इसे समर्थन देने के साथ, 1926 में एक केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की। साइमन कमीशन की सिफारिशों को मानकर इसे 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। यह इसी नाम के साथ 1950 तक काम करता रहा। इसके बाद, 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के साथ, आयोग का नाम बदलकर भारत का संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) कर दिया गया।

संविधान का अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोगों को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग संघ की सेवा करने के लिए, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की सेवाओं के लिए, और संयुक्त लोक सेवा आयोग दो या दो से अधिक राज्यों की सेवाओं के लिए। भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति से संघ लोक सेवा आयोग राज्यों की मदद भी करता है।

संरचना एवं कार्य

संघ लोक सेवा आयोग के शीर्ष पर एक अध्यक्ष होता है तथा, साथ में, कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। भारत का संविधान सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है, बल्कि सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत करता है। 1950 में, जब संघ लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया, तो इसमें एक अध्यक्ष सहित चार सदस्य होते थे। इसके सदस्यों की संख्या आमतौर पर छह से दस सदस्यों के बीच घटती–बढ़ती रहती है।

अनुच्छेद 316 (1) के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष और आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के सदस्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करना होता है कि कुल सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे होंगे, जिन्होंने नियुक्ति के समय कम से कम दस वर्षों तक भारत सरकार के अधीन या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन पद धारण किया हो।

आयोग के कार्य आमतौर पर परामर्श देना होता है। यह सेवा के मामलों में विशेषज्ञ प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और गैर–पक्षपातपूर्ण रूप से सलाह देता है। संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित मामलों में केन्द्र सरकार को सलाह देता है।

1. सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती के तरीकों से संबंधित मामले।
2. सिविल सेवाओं में नियुक्तियाँ करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण करने के लिए बनाये गये सिद्धान्त। इन्हीं मामलों में यह उम्मीदवारों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए सिद्धान्तों को जारी करता है।

3. भारत सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामले, जिनके अंतर्गत ऐसे मामलों से संबंधित ज्ञापन या याचिकाएँ भी होते हैं।

4. भारत सरकार में सिविल हैसियत में सेवारत या सेवा कर चुके किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा दावा, जिसमें कर्त्तव्य के निष्पादन में किए गए कार्य के विरूद्ध हुई कानूनी कार्यवाही से अपने बचाव पक्ष में किए गए खर्च के सम्बन्ध में भारत की संचित निधि में से धनराशि की माँग की गई हो।

5. कोई अन्य मामला, जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा जाए।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपरोक्त मामलों में आयोग केवल एक सलाहकार क्षमता के रूप में कार्य करता है और उसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, इसे नियमित रूप से किये गये कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है।

संविधान में इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रावधान भी है, जो एक विशेष उल्लेख के योग्य हैं:

1. आयोग के कार्य का विस्तार करने का अधिकार संसद को है। संसद का अधिनियम किसी भी स्थानीय या स्वायत्त निकाय की सेवाओं को आयोग की सीमा में ला सकता है।

2. राष्ट्रपति नियुक्तियों में आरक्षण(SC/ST/OBC) से संबंधित मामलों को निर्दिष्ट करने वाले अधिनियम बनाने के लिए अधिकृत है।

3. राष्ट्रपति को संविधान में निर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों पर भी आयोग से परामर्ष करने का अधिकार है।

गतिविधि

शिक्षा/स्वास्थ्य/बुनियादी ढाँचे के निर्माण और इस तरह के अपने राज्य से संबंधित किसी भी सामाजिक या आर्थिक नीति/कार्यक्रम को लें और हमें बतायें कि इनमें से किसी भी क्षेत्र में नीति के सात स्तंभों का किस प्रकार से पालन किया गया है।

संदर्भ

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 2018, वीकिपीडिया http://enwikipedia.org/wiki/union_public_service_commission

अब हम चुनाव आयोग पर चर्चा करेंगे।

10.4सी चुनाव आयोग

प्रस्तावना

एक लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आवधिक, स्वतंत्र, और निश्पक्ष चुनाव अनिवार्य हैं और यह संविधान का मूलभूत पहलू भी है। चुनाव आयोग को भारत के चुनावों का संरक्षक माना जाता है। भारत के संविधान के अनुसार देश में स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग (EC) के गठन के लिए अनुच्छेद 324 के तहत प्रावधान है। वर्ष 1989 से सभी राजनीतिक दलों को आयोग के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है।

संरचना

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के (सेवा की षर्तें) नियम, 1992 के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त (जो आमतौर पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होते हैं) वेतन और भत्ता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्राप्त करते हैं। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, उप चुनाव आयुक्त (आमतौर पर आई.ए.एस. अधिकारी), महानिदेशक, प्रमुख सचिव, सचिव और अवर सचिव के कार्यालय हैं।

राज्य स्तर पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो प्रमुख सचिव पद का एक आई.ए.एस अधिकारी होता है, संबंधित राज्य में चुनाव के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। जिला और निर्वाचन क्षेत्रों में, जिला न्यायाधीश (जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में) निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, और निर्वाचन अधिकारी चुनाव सम्बन्धित कार्य करते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जैसाकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को।[2] अन्य चुनाव आयुक्तों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर हटाया जा सकता है।

कार्य

चुनाव आयोग की शक्ति और कार्यों पर चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324—329 में उल्लिखित हैः

1. चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और संचालन करता है।

2. यह लोकसभा और राज्य विधानसभा (विधान सभा का निचला दल) के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार करता है। यह मतदाता सूची को प्रत्येक जनगणना के पश्चात् संषोधित करता है और हर चुनाव से पहले इसका नवीनीकरण करता है।

3. निश्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग चुनावों की आचार संहिता का निर्धारण और घोषणा करता है। 1971 में 5वीं लोकसभा चुनावों से सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को एक मॉडल आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, जो चुनाव आयोग प्रत्येक चुनाव के लिए जारी करता है। ये दिशानिर्देश विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अधिकारिक तंत्र के दुरूपयोग से नियमों और विनियमों के

[2] दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार को रेखांकित करते हुए भारत की संसद (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा पारित दो—तिहाई बहुमत का प्रस्ताव

उल्लंघन के कारण प्राप्त की जा रही शिकायतों पर आधारित थे। आचार संहिता का कोई विशिष्ट वैधानिक आधार नहीं है, परन्तु यह केवल एक प्रेरक प्रभाव डालता है। इसमें चुनावी नैतिकता के नियम सम्मिलित होते हैं।

4. यह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाता है, जब भी ये चुनाव होने होते हैं। यह हर दो साल में राज्यसभा के चुनाव भी आयोजित करता है क्योंकि राज्य सभा के S! सदस्य हर 2 साल के बाद सेवामुक्त हो जाते हैं। यह विधान परिषदों (राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन, जहाँ भी ये अस्तिव में हैं) के लिए चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। यह उपचुनाव भी करवाता है।

5. यह भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनावों का संचालन करता है, जब भी उचित होता है। यह मतदाताओं की सूची तैयार करता है और चुनाव जीतने के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल के प्रत्येक वोट के वेटेज और महत्व को ध्यान में रखते हुए वोटों का कोटा तैयार करता है।

6. चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग माँग कर सकता है कि उसे कुछ कर्मियों की सेवायें उपलब्ध कराई जाए, जो केन्द्र और राज्य सरकारों में काम कर रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों को कर्मियों को चुनाव कर्त्तव्यों को निभाने के लिए भेजना आवश्यक होता है। इन कर्मियों की नियुक्ति चुनाव अधिकारी/प्रधान अधिकारी/अन्य मतदान अधिकारी के रूप में होती है। ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मचारी चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होते हैं।

7. हर आम चुनाव के बाद, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तर की मान्यता देता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तब प्राप्त होती है जब वह न्यूनतम चार राज्यों में मतदान के दौरान प्राप्त कुल वैध मतों का न्यूनतम चार प्रतिशत प्राप्त कर लेता है। इसी तरह राज्यों में भी, एक राजनीतिक दल को संबंधित राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम चार प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए, जिससे वह राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है।

8. आयोग के पास राजनीतिक दल के प्रतीक चिन्ह को नामित करने का अधिकार है और किन्हीं भी दो अलग–अलग राजनीतिक दलों को एक ही प्रतीक चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

9. यह चुनाव व्यय की सीमा भी तय करता है।

10. आयोग को मतदान के रूझानों के प्रसार या प्रकाषन को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। ये रूझान जनमत सर्वेक्षण या एक्जिट पोल से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

11. चुनाव आयोग ने दण्डित राजनेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है, जिससे राजनीति को अपराधिकता से बचाया जा सके।

आधुनिकीकरण की दिशा में पहल

1. चुनावों में धन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने आयकर विभाग के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों को सभी चुनावों के लिए चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। एक निश्चित धनराशि तय की गई है, जिसे एक उम्मीदवार चुनाव अभियानों के दौरान खर्च कर सकते हैं। इन सीमाओं को समय के साथ–साथ

संषोधित किया जाता है। चुनाव आयोग, भारतीय राजस्व सेवा से व्यय पर्यवेक्षकों को नियुक्त करके व्यक्तिगत चुनाव व्यय के लेखा–जोखा पर दृष्टि रखता है। आयोग नामांकन पत्र जमा करते समय षपथपत्र पर उम्मीदवार की संपत्ति का विवरण लेता है और उसे परिणामों की घोषणा होने पर 30 दिनों के भीतर अपने व्यय का विवरण देना होता है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए आयोग द्वारा अभियान की अवधि को भी 21 से घटाकर 14 दिन का कर दिया गया है। यह चुनाव व्यय में कटौती करने के लिए किया गया है।

2. चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात् ई.वी.एम.[3] के द्वारा चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार किया है। ई.वी.एम. पहली बार 1982 के विधानसभा चुनावों के लिए केरल राज्य में एक प्रयोगात्मक आधार पर अपनाया गया था। सफल परीक्षण और कानूनी जाँचों के बाद, आयोग ने इन वोटिंग मशीनों के उपयोग के साथ चुनाव कराने का निर्णय लिया। ईवीएम पर उम्मीदवारों की फोटो के साथ फोटो मतदाता सूची बनाने की पहल बिहार विधान सभा चुनाव 2015 में की गई थी।

3. चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के प्रयासों में, 1993 में मतदाता फोटो पहचान पत्र चालू किए गए, जो 2004 के चुनावों में अनिवार्य हो गए। हालाँकि, कुछ स्थितियों में, चुनाव के प्रयोजनों के लिए राशनकार्ड की अनुमति दी गई है।

4. चुनावों की सटीक जानकारी, प्रबंधन, प्रशासन, और तात्कालिक परिणाम प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग ने फरवरी 28, 1998 को अपनी वेब साइट प्रारम्भ की। यह वेबसाइट सभी उपयोगकर्त्ताओं के लिए सुलभ है। इसे उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकतम पहुँच और उपयोगिता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि पोर्टल पर सभी जानकारी विकलांग लोगों के लिए भी सुलभ हैं। उदाहरण के लिए, दृश्य विकलांगता वाला एक उपयोगकर्ता सहायक तकनीकों का उपयोग करके इस पोर्टल तक पहुँच सकता है, जैसे कि, स्क्रीन रीडर और मैग्नीफायर। चुनाव आयोग का उद्देश्य मानकों का अनुपालन करना और सार्वभौमिक डिजाइन व उपयोगिता के सिद्धान्तों का पालन करना है, जिससे इस पोर्टल के सभी आगंतुकों को सहायता मिल सके।

5. 1998 में आयोग ने मतदाता सूची के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक कार्यक्रम पर निर्णय लिया।

6. 'सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम' (एस.वी.ई.ई.पी.), जिसे 2009 से चुनाव आयोग के एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना तथा मतदान के समय एक सूचित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम नियमत हस्तक्षेपों पर आधारित है। यह राज्य के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, और जनसांख्यिकीय प्रालेखों के साथ–साथ चुनावों के पिछले दौरों में चुनावी भागीदारी के इतिहास और उससे सीख पर आधारित है। एस.वी.ई.ई.पी. मतदाता ष्क्षिा, मतदाता जागरूकता के प्रयास, और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए है।

7. 2014 में आठ लोकसभा क्षेत्रों के आम चुनावों में वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का प्रारम्भ चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस वी.वी.पी.ए.

[3] यह वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग है जिसमें वोट डालना व उसकी गणना करना होता है। ईवीएम ने भ्रष्टाचार को कम किया है और दक्षता को बढ़ाया है।

टी. प्रणाली का पहली बार ईवीएम के साथ सितबंर 2013 में नागालैंड में नोकसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग किया गया और अंततः सितम्बर 2013 से देश के सभी विधानसभा चुनावों में ईवीएम के साथ प्रयोग किया गया। यह सत्यापित करता है कि मतदाता द्वारा इच्छित वोट उसके द्वारा एक विशेष राजनीतिक पार्टी को दिया गया है। यदि ईवीएम और वीवीपीएटी पर्चियों के बीच उम्मीदवारों के मतगणना के परिणामों में बड़ा अन्तर पाया जाता है, तब वी.वी.पी.ए.टी. पर्ची की पुनः गणना की जाती है। और फिर कोई संषय होने पर, वी.वी.पी.ए.टी. पर्चियों के अनुसार मतगणना को अंतिम माना जाता है।

8. चुनाव आयोग के पास एक ओर इ.वी.एम. के साथ वी.वी.पी.ए.टी. तथा दूसरी ओर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व चुनाव अधिकारियों के मध्य अंतरापृष्ठ और अन्योन्यक्रिया का एक सुदृढ़, व्यवस्थित, और संस्थागत ढाँचा है। इस प्रकार सभी हितधारकों के इ. वी.एम. व वी.वी.पी.ए.टी. में अनिवार्य भागीदारी से सम्पूर्ण चुनाव प्रणाली पूर्ण रूप से पारदर्शी हो जाती है, और मशीनों के साथ किसी भी प्रकार से छेड़खानी समाप्त हो जाती है।

9. 2014 में NOTA[4] को भी जोड़ा गया था जो वोटिंग मशीनों पर एक विकल्प की तरह था, और अब किसी भी चुनाव में इस विकल्प को प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

परन्तु, चुनाव आयोग के कामकाज में स्वतंत्रता और निश्पक्षता एक संषय का विषय रहा है। पहली बात तो यह है कि भारत का संविधान सीईसी की योग्यता और कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहता है। इस संबंध में प्रत्येक मामले को राष्ट्रपति के पास छोड़ दिया गया है, जिन्हें संसद द्वारा अधिनियमित कानून के प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया गया है। इससे राजनीतिक आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है। इनकी नियुक्ति के लिए गोस्वामी रिपोर्ट के अनुसार, एक पैनल होना चाहिए, जिसमें सदस्यों के रूप में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, और भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए।

दूसरा, सीईसी, हालांकि निश्पक्ष रूप से चुनाव कराने का बाखूबी निभाता है लेकिन फिर भी उसे अपने कर्मचारियों की सेवा से संबंधित शर्तों को नियुक्त और विनियमित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग जैसे समान निकायों के लिए उपलब्ध है।

गतिविधि

भारत में अब तक चुनाव आयोग की भूमिका किस प्रकार संतोषजनक रही है।

संदर्भ

कोर कमेटी ऑन इलक्टोरल रिफोमर्स, बैकग्रांड पेपर ऑन इलेक्टोरल रिफोमर्स, 2010 लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मिनस्ट्री ऑफ लॉ एण्ड जस्टिस, गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया को स्पान्सर्ड बॉय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया

अब हम वित्त आयोग पर आगामी चर्चा करेंगे।

---

[4] NOTA के लिए विशिष्ट प्रतीक एक गुप्त मत–पत्र होता है, जिस पर एक काले रंग का क्रॉस होता है, जो 18 सितम्बर 2015 डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया है।

10.4डी वित्त आयोग

प्रस्तावना

अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के प्रारम्भ से दो साल के भीतर वित्त आयोग की नियुक्ति करनी होगी और उसके बाद हर पाँच साल में एक बार या यदि आवश्यक हो तो उससे भी पहले नियुक्त कर सकते हैं। यह अनुच्छेद मोटे रूप में वित्त आयोग की संरचना और इसकी विचारार्थ विषय[1] (terms of reference) को भी निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग मुख्य रूप से संघ से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण का सुझाव देगा, जिससे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन को कम किया जा सके।

संरचना

अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की शक्तियों को इस प्रकार निर्दिष्ट किया है कि इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे। वित्त अधिनियम 1951, धारा (3) अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता निर्दिष्ट करता है। इस अधिनियम के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष को उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा, जिनके पास सार्वजनिक मामलों में अनुभव है। अन्य सदस्यों को उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा, जो :

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो या होने के योग्य हो।
2. वित्तीय और लेखा मामलों में विशेषज्ञता
3. गहन प्रशासक हो
4. अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता हो

कार्य

यह वित्त आयोग का कर्त्तव्य है कि वह निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सलाह दें:

1. करों से हुई कुल आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण, जो उनके बीच विभाजित किया जाना है और इस तरह के आय से संबंधित षेयरों का राज्यों के बीच आवंटन।
2. वे सिद्धान्त, जिन्हें भारत के समेकित कोश से राज्यों के सहायक अनुदान और उसमें से राज्यों को दिए जाने वाले धन–राशि का संचालन करना चाहिए।
3. राज्य के वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त संसाधनों के लिए राज्य के समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।
4. अनुच्छेद 278 के धारा(i) या अनुच्छेद 306 के अंतर्गत पहली अनुसूची के भाग 'बी' में निर्दिष्ट किसी भी राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा किए गए किसी भी समझौते की शर्तों की निरंतरता या संशोधन।
5. आयोग अपनी सुझावों में नवीनतम जनगणना से जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करेगा।
6. कोई अन्य मामला जिसे राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किया गया हो।

कार्य करने की प्रक्रिया

सरकार द्वारा वित्त आयोग के गठन तथा शर्तों की घोषणा के साथ वित्त आयोग स्वयं का कार्य आरम्भ करता है। पहले चरण में, आयोग राज्य सरकारों को पत्र भेजता है, जिसमें उन्हें अगले पाँच वर्षों में अपने खर्च और राजस्व का अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। अनुमान प्राप्त होते ही, आयोग इन अनुमानों की विश्वसनीयता का परीक्षण करता है और राज्य के संबंधित अधिकारी को स्पष्टीकरण के लिए दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में बुलाता है। तदानुरूप, राज्यों के अनुमानों का आंकलन लगाया जाता है। अगले चरण में आयोग सभी राज्यों में दौरे करता है। आम तौर पर, आयोग प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से वित्तीय अनुमानों के बारे में विचार विमर्श करता है। यहाँ, राज्य अपनी जरूरतों और मांगों को रेखांकित करते हुए एक ज्ञापन सौंप सकते हैं। आयोग उद्योग और बैकरों के वित्त से संबंधित ज्ञापन भी सुनता है और उन्हें प्राप्त करता है। इसके बाद अन्तिम चरण होता है, जिसमें आयोग दिल्ली में प्रत्येक राज्य की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करता है। वित्त आयोग वार्षिक बजट प्रस्तुति से कुछ महीने पहले भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को केन्द्रीय केबिनेट के पास सोच–विचार व कार्यान्वयन के लिए भेजता है।

पंद्रहवां वित्त आयोग

27 नवंबर 2017 को 'द गजट ऑफ इंडिया' में एक अधिसूचना के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद भारत सरकार द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया। श्री नंद किषोर सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और साथ ही पूर्णकालिक और अंषकालिक सदस्यों को भी नियुक्त किया गया।

आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 2020 से आरम्भ हुई। इसका कार्यकाल पाँच वर्षों का था। इसका गठन करों और अन्य राजकोषीय मामलों के अन्तरण के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। आयोग का मुख्य कार्य सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाना, तथा वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना था।

अध्यक्ष के सुझाव अनुसार आयोग को संघ के करों के माध्यम से प्राप्त राजस्व के विचलन के नियम का पुनःमूल्यांकन करना होगा, क्योंकि आयोग की चुनौतियों में से एक निश्पक्षता और दक्षता के बीच संतुलन बनाना था, जिसकी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवश्यकता थी, जिससे वे आर्थिक विकास के लिए अधिक सषक्त बन सकें।

गतिविधि

केन्द्र व राज्यों के बीच क्या वित्तीय आयोग ने वित्तीय कुशलता से अनुदानों और वित्त का विवरण किया है? बताएं।

संदर्भ

सिंह साहिब व षिवंदर सिंह, 2013, पब्लिक पर्सनल एण्ड फाइनेंनषियल एडमिनीस्ट्रेशन इन इण्डिया, न्यू एकडेमी पब्लिसर्श, जालंधर।

अब हम केन्द्रीय सर्तकता आयोग पर आगामी चर्चा करेंगे।

10.4ई केन्द्रीय सतर्कता आयोग

भारत का केन्द्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना सन् 1964 में की गयी थी। इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति (1962–64) द्वारा की गयी थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से सम्बन्धित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक दर्जा (statutory status) प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियन्त्रण से मुक्त है तथा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यह केन्द्रीय सरकारी संगठनो में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने, तथा सुधार करने में सलाह देता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनो सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति ने 11 सितम्बर 2003 को स्वीकृति दी। इसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, जो कि अध्यक्ष होता है तथा दो अन्य सतर्कता आयुक्त (सदस्य, जो दो से अधिक नहीं हो सकते) होते हैं।

अप्रैल 2004 में भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरूपयोग करने सम्बन्धित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने वाली एक नामित एजेंसी के रूप में प्राधि ाकृत किया।

संरचना

आयोग में एक अध्यक्ष व दो सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सुझाव पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद को धारण करने के योग्य नहीं होते हैं।

पदच्युति की दशा

भारत के राष्ट्रपति निम्नांकित दशाओं में आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके सदस्यों को पद से विमुक्त कर सकते हैं:

- यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो।
- यदि वह नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में केन्द्र सरकार की दृष्टि में दोशी पाया गया हो।
- अपने कार्यक्षेत्र से बाहर कोई लाभ का पद धारण करता हो।
- मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कार्य करने में राष्ट्रपति की दृश्टि में असमर्थ हो।
- कोई अन्य आर्थिक व लाभ का पद ग्रहण करता हो, जो आयोग के अनुसार अनुचित है।
- आयोग के मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों को उनके दुराचरण व अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।

- ऐसे किसी भी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो अथवा जिसके उपरांत प्रकट होने वाले लाभ व सुविधाएँ किसी निजी कंपनियों के सदस्यों के समान ही प्राप्त करता हो।

वेतन, भत्ते, व सेवा शर्तें

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते, व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती हैं और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती है। कार्यकाल के दौरान इनकी सेवाओं में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार एवं कार्य

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अंतर्गत इस आयोग के अधिकार एवं कार्य निम्नलिखित हैं:

- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो) के कार्यकरण का अधीक्षण करना, जहां तक वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों अथवा लोक सेवकों की कतिपय श्रेणियों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी अपराध के अन्वेशण से संबंधित है।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो) को अधीक्षण के लिए निर्देश देना, जहां तक इनका संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के अन्वेशण से है।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर्भ पर जांच करना अथवा जांच या अन्वेशण करवाना।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग से संबंधित किसी पदधारी के विरुद्ध प्राप्त किसी शिकायत में जांच करना या जांच अथवा अन्वेशण कराना।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से किए गए अपराधों में अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी अपराध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किए गए अन्वेशणों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना।
- केन्द्रीय सरकार तथा इसके संगठनों को ऐसे मामलों पर सलाह देना, जो इनके द्वारा आयोग को भेजे जाएंगे।
- विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों, तथा केन्द्रीय सरकार के संगठनों के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण करना।
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उस समिति का अध्यक्ष है तथा दोनों सतर्कता आयुक्त सदस्य हैं, जिसकी सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार, प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है।
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उस समिति का अध्यक्ष है तथा दोनों सतर्कता आयुक्त सदस्य हैं, जिसके अन्तर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर के स्तर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति तथा इन अधिकारियों के कार्यकाल का

विस्तारण अथवा लघुकरण करने के लिए, निदेशक (केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो) से परामर्ष करने के पश्चात् अपने सुझाव देने का अधिकार प्राप्त है।

किसी भी जांच का संचालन करते समय आयोग को सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

संदर्भ

- https://hi.wikipedia.org/wiki
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, आलेख, 4 मई 2015
- https://www.cvc.nic.in/.

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

10.4एफ प्रशासनिक सुधार आयोग

प्रस्तावना

इस इकाई में हम प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता तथा इस हेतु लिए गए भारत सरकार के कदमों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, प्रशासनिक सुधारों के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में सुझाव दिए।

प्रशासनिक सुधार आयोग इस ओर लिए गए कदमों में एक महत्वपूर्ण संस्थान है। भारत सरकार ने दो आयोगों का गठन किया, जिसमें पहला आयोग 1966–70 की अवधि में स्थापित किया गया और दूसरा आयोग 2005 में स्थापित किया गया।

अतः हम सबसे पहले पहला प्रशासनिक सुधार आयोग की चर्चा करेंगे।

पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966–1970

पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन गृह मंत्रालय द्वारा 5 जनवरी 1966 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा लोक प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा हेतु किया गया था। श्री मोरारजी आर. देसाई इसके अध्यक्ष थे और बाद में श्री हनुमन्थैया इसके अध्यक्ष बने।

प्रस्ताव में आयोग के जनादेश के बारे में विवरण सम्मिलित था।

पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का जनादेश

पहले प्रशासनिक सुधार आयोग को सार्वजनिक प्रशासन में सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने और विकास के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साथ ही साथ एक सार्वजनिक साधन माना गया ताकि सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता और अखंडताके उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए मजबूर किया जा सके और वे भी, जो लोगों के प्रति उत्तरदायी है। विशेष रूप से आयोग को निम्नलिखित विषयों पर विचार व उनकी समीक्षा करना था और इन क्षेत्रों में अपने सुझाव प्रस्तुत करने थे:

1. भारत सरकार की मशीनरी और इसकी कार्य प्रक्रियाएँ
2. सभी स्तरों पर योजना मशीनरी
3. केन्द्र और राज्य सम्बन्ध
4. राज्य स्तर पर प्रशासन
5. वित्तीय प्रशासन
6. कार्मिक प्रशासन
7. आर्थिक प्रशासन
8. जिला प्रशासन
9. कृषि प्रशासन
10. नागरिकों की शिकायतों का निवारण

अपवाद

आयोग रक्षा, रेलवे, विदेश मंत्रालय, सुरक्षा और खुफिया तंत्र से जुड़ी सविस्तार जाँच को अपने सीमा क्षेत्र से अलग कर सकता है क्योंकि इनके पास अपने स्वयं के आयोग हैं। हालाँकि, आयोग, समग्र सरकारी मशीनरी के पुनर्गठन के सुझाव देते हुए इन क्षेत्रों को ध्यान में रखने के लिए स्वतंत्र होता है।

रिपोर्ट

आयोग ने 20 रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो कि इस प्रकार हैः

1. नागरिकों को शिकायतों के निवारण के मुद्दे
2. योजना के लिए मशीनरी
3. योजना के लिए मशीनरी (अंतिम)
4. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
5. वित्त, लेखा और लेखा परीक्षण
6. आर्थिक प्रशासन
7. भारत सरकार की मशीनरी और इसकी कार्य प्रक्रियाएँ
8. जीवन बीमा प्रशासन
9. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन
10. केन्द्र शासित प्रदेशों और नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (एन.ई.एफ.ए.) का प्रशासन
11. कार्मिक प्रशासन
12. वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन
13. केन्द्र–राज्य संबंध
14. राज्य प्रशासन
15. लघु स्तर सेक्टर
16. रेलवेस
17. कोषागार
18. भारतीय रिजर्व बैंक
19. डाक एवं तार
20. वैज्ञानिक विभाग

आयोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों का सुझाव देते हुए 20 रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने सभी 580 सुझाव दिये थे। केन्द्र सरकार ने आयोग द्वारा दी गई 80 प्रतिशत सुझावों को स्वीकार कर लिया था। आयोग ने राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों का अन्वेशण किया। आयोग द्वारा सुझावों को राज्यों के ध्यान में लाया गया, जिससे प्रभावी प्रशासनिक कामकाज सुनिश्चित हो सके।

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में भारत सरकार के इस संकल्प के साथ स्थापित किया गया था कि लोक प्रशासन प्रणाली को नया रूप देने के लिए एक विस्तृत खाका

तैयार किया जा सके। एक अध्यक्ष, तीन अन्य सदस्य, तथा एक सदस्य सचिव इस आयोग में थे। इसके अध्यक्ष श्री वीरप्पन मोइली थे।

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग को जनादेश

सरकारी स्तर पर देश के लिए एक सक्रिय, उत्तरदायी, जबावदेह, सतत और कुशल प्रशासन प्राप्त करने के लिए आयोग को जनादेश दिया गया था। आयोग ने निम्नलिखित विषयों की समीक्षा कीः

1. भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना
2. शासन में नैतिकता
3. कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण
4. वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सषक्त बनाना।
5. राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन
6. प्रभावी जिला प्रशासन
7. स्थानीय स्वशासन/पंचायती राज संस्थायें
8. सामाजिक पूँजी, विश्वास, और सार्वजनिक सेवाओं में भागीदारी
9. नागरिक केंद्रीत प्रशासन
10. ई—शासन को बढ़ावा देना
11. संघीय राजनीति के मुद्दे
12. संकट प्रबंधन
13. सार्वजनिक व्यवस्था

अपवाद

आयोग रक्षा, रेलवेस, विदेशी मामलें, सुरक्षा, और गुप्तचर कार्य से जुड़ी सविस्तार जाँच को अपने सीमा क्षेत्र से अलग कर सकता है। ये ऐसे विषय हैं, जिनके स्वयं के आयोग हैं। हालाँकि, आयोग, समग्र सरकारी मशीनरी के पुनर्गठन की सुझाव करते हुए इन क्षेत्रों को ध्यान में रखने के लिए स्वतंत्र होता है।

रिपोर्ट

आयोग ने सरकार को विचारार्थ 15 रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने मार्च 30, 2007 को मंत्रियों के एक समूह का विदेश मंत्री के अध्यक्षता में गठन किया। इसका कार्य दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों पर विचार करना, सुझावों के कार्यान्वयन की गति की समीक्षा करना, तथा इन सुझावों के कार्यान्वयन में संबंधित मंत्रालयों और विभागों का मार्गदर्शन करना था। अगस्त 21, 2009 से वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इसका पुर्नगठन किया गया। कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार के लिए एक कोर समूह ने सभी 15 रिपोर्टों की जाँच की और इन रिपोर्टों पर विचार भी किया गया। ये रिपोर्ट निम्नलिखित हैं:

पहली रिपोर्ट	:	सूचना का अधिकार-सुशासन की कुंजी
दूसरी रिपोर्ट	:	मानव—पूँजी का अनावरण-पात्रता और शासन— नरेगा से सम्बन्धित केस अध्ययन

तीसरी रिपोर्ट	:	संकट प्रबंधन– निराशा से आशा तक
चौथी रिपोर्ट	:	शासन में नैतिकता
पाँचवी रिपोर्ट	:	लोक व्यवस्था–सभी के लिए न्याय, सभी के लिए शांति
छठी रिपोर्ट	:	स्थानीय शासन
सातवीं रिपोर्ट	:	संघर्ष के लिए क्षमता निर्माण
आठवीं रिपोर्ट	:	आतंकवाद का मुकाबला (गृह मंत्रालय के अंतर्गत)
नौवी रिपोर्ट	:	सामाजिक पूँजी–एक साझा कर्म
दसवीं रिपोर्ट	:	कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण–नई ऊँचाई को मापना
ग्यारहवी रिपोर्ट	:	ई-गवर्नेंस को बढ़ावा–आगे बढ़ने का तीक्ष्ण तरीका
बारहवी रिपोर्ट	:	नागरिक केन्द्रस्थ प्रशासन–प्रशासन का केन्द्र
तेरहवीं रिपोर्ट	:	भारतीय सरकार की संगठनात्मक संरचना
चौदहवी रिपोर्ट	:	वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना
पंद्रहवी रिपोर्ट	:	राज्य और जिला प्रशासन

गतिविधि

हम सभी को देश में अब तक किए गए प्रशासनिक सुधारों पर अपने विचार बिंदुओं को जानने देंगे। आप नौकरशाही में लाइसेंस राज के प्रमुख होने के बारे में जाँच कर सकते हैं, लोक सेवक केवल नीतियों के निष्पादन, लालफीताशाही, गोपनीयता, परिवर्तन अभिविन्यास और ऐसे अन्य संबंधित बिन्दुओं तक सीमित हो सकते हैं।

संदर्भ और अन्य उपयोगी पुस्तकें

- अली. फराजमंद 1999, वैष्विक परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक सुधारःएक संगोश्टी सार्वजनिक प्रशासन का अंतर्राश्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम– 22 नं0 6, मार्क डेक्कर इंक, यू.एस.

- फादिया, बी.एल. और कुलदीप फादिया 2006, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनःएडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड कान्सेप्टस, साहित्य भवन प्रकाषन, आगरा

- ओसबोर्न, डेविड और टेड गेबलर, 1993, रीइनवेटिंग गर्वनमेंट, रीडिंग, मैसाचुसेट्स एडिसन वेस्ली, यू.एस.

- सिंह, दीपाली और नफीस. ए. अंसारी, 2007, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इण्डियाः एन ओवरव्यू, इडियन जर्नल ऑफ पब्लिक इडमिनिस्ट्रेशन, वॉल्यूम III, नं0 3, जुलाई–सितम्बर, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली

- FICCI, 2014, हैडबुक ऑन सेंकड एआरसी रिकमनडेषन्स एण्ड रिलेटिड कान्सेप्टस, एटीआई, मैसूर

- गुड्डो वर्डची, 2007, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंसः गवर्नमेंट सर्विंग सीटिज़न्स, 7वें ग्लोबल फोरम ऑन रेइनवेटिंग गवर्नमेंट–बिल्डिंग ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, ऑनलाइन रिट्रीवल नवम्बर 20, 2015

- कैयडन गैराल्ड, 1970, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मस, द पेगुइन प्रेस, एलन लेन, लंदन

- ली, हैन–बिन और एबेलार्डो समोन्ते, 1970 (एड्इट), एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म इन एशिया, ईस्टर्न रिजनल ऑगनाइज़ेषन फॉर पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन, मनीला
- सिंह, होशियार, 2011, इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन, डोरलिंग किडरस्ले, (इंडिया) प्राइवेट लिं., नई दिल्ली
- भगवती, जे. और टी.एन. श्रीनिवासन, 1993, इण्डियन इकॉनोमिक रिफार्मस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- चिवलंगी, एम., 2008, इकोलॉजिकल नीड्स फॉर गुड गवर्नेस ऑफ इंडिया, बी.एम. चितलंगी (एड्इट), रिसेट ट्रेन्डस इन पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन, आरबीएसए पब्लिषर्स, जयपुर
- हेनरी, निकोलस, 2007, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, प्रैटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- स्यूली सरकार, 2010, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, प्रैटिस हॉल ऑफ इंडिया लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY